प्रस्तावना

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (राराक्षे) दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के समक्ष रखा जा सके।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में परिकल्पना की गई है कि 'शराब' का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, खरीद और बिक्री राज्य सरकारों के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। तदनुसार, आबकारी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (राराक्षेदिस) दिल्ली में शराब की आपूर्ति को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। आबकारी विभाग शराब की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को निर्माताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक नियंत्रित करता है। इस आपूर्ति श्रृंखला में कई हितधारक शामिल हैं जैसे, निर्माता (डिस्टिलरी और ब्रुअरीज), गोदाम, खुदरा विक्रेता (बिक्री केंद्र), होटल, क्लब और रेस्तरां (सेवा केंद्र), और अंततः उपभोक्ता। आबकारी विभाग दिल्ली में शराब की आपूर्ति पर उत्पाद शुल्क और कई अन्य शुल्क जैसे लाइसेंस शुल्क, परमिट शुल्क, आयात शुल्क आदि वसूल करता है। इस प्रतिवेदन में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान आबकारी आपूर्ति श्रृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली (ईएससीआईएमएस), लाइसेंसिंग नीति और लाइसेंस जारी करना, मूल्य निर्धारण नीति, गुणवत्ता नियंत्रण, आबकारी खुफिया ब्यूरो और जब्ती तथा आबकारी विभाग के प्रवर्तन शाखा के कामकाज से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया है। नवंबर 2021 के बाद से आबकारी नीति व्यवस्था में व्यापक बदलाव के कारण और 01 सितंबर 2022 से इसकी वापसी को इस रिपोर्ट के दायरे में शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में ईएससीआईएमएस के माध्यम से शराब की एंड-टू-एंड ट्रैकिंग के द्वारा अधिक कुशल विनियमन को सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में विभिन्न कमियों को इंगित किया गया है। आबकारी विभाग ने विभिन्न लाइसेंसधारियों को आबकारी अधिनियम/नियमों एवं शर्तों के अनुसार विभिन्न दस्तावेजों का सत्यापन किये बिना लाइसेंस जारी किये। इसके अलावा, नियमों के उल्लंघन में, संबंधित पार्टियों (जिनमें कॉमन निदेशक हैं) को कई लाइसेंस जारी किए गए थे। भारत निर्मित विदेशी शराब के एक्स-डिस्टिलरी कीमत/एक्स ब्रुअरी कीमत

की औचित्यता सुनिश्चित करने के लिए लागत विवरण नहीं मांगा गया था। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानदंडों के अनुरूप परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता के बावजूद थोक लाइसेंस के आवेदकों को लाइसेंस जारी किए गए थे। प्रवर्तन मामलों में, यह देखा गया कि संदिग्ध स्टॉक के चयन में कोई अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। प्रवर्तन शाखा में निरीक्षण रजिस्टर का खराब रखरखाव था। आबकारी नीति वर्ष 2021-22 के संबंध में, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां नीति के कार्यान्वयन में कमी के साथ-साथ इच्छित उद्देश्यों को पूरा करने में नीति की विफलता और इसकी अंतिम रूप से वापसी में योगदान करने वाले मुद्दों की ओर इंगित करता है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप आयोजित की गई है।